न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2014 पुर्नविलोकन रिव्यू 2608- II/14

श्री आर० कुमार सोंगर, अधि० द्वारा आज दि. 19-8-14 को प्रस्तुत

19-8-14

रामचन्द्र आत्मज श्री कन्हैयालाल निवासी ग्राम नसरूल्लागंज तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर म.प्र.

.... आवेदक

बनाम

1. बसंत कुमार आत्मज स्व. श्री नर्वदाप्रसाद
2. ओमप्रकाश आत्मज स्व. श्री नर्वदा प्रसाद

निवासीगण ग्राम नसरूल्लागंज तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर म.प्र.

.... अनावेदकगण

पुर्नविलोकन अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू राजस्व संहिता न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवलियर द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 86/ 11/ 12 में पारित आदेश दिनांक 5.6.2013 के विरूद्व पुर्नविलोकन ।

महोदय

आवेदक की ओर से पुर्नविलोकन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अनावेदकगण द्वारा सर्वे क्रमांक 17, 18/1 एवं सर्वे क्रमांक 17, 18/ 3 स्थित ग्राम नसरूल्लागंज भूमि के भूमि स्वामी है । उस पर जाने एवं कृषि कार्य करने हेतु आवेदक की भूमि की मेड पर से निकलने के लिए रास्ते की मांग करने हेतु तहसीलदार तहसील नसरूल्लागंज के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्रमांक 5/ अ– 13/ 05– 06 पर दर्ज किया गया । प्रकरण में उभय पक्षों को आहूत किया जाकर प्रस्तुत साक्ष्य का गलत परिशीलन करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदकगणों के खेत पर जाने हेतु तीन तीन वैकल्पिक मार्ग होते हुए

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक रिव्यु 2608–दो / 14 जिला –सीहोर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-12-17	आवेदक अधिवक्ता श्री आर0 एस0 सेंगर उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 86–दो / 12 में पारित आदेश दिनांक 5.6.13 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण कमांक रिव्यु 2608–दो / 14 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 86–दो / 14 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 06.03.12 से किया जा चुका है। 4– रिव्यु 2608–दो / 14 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं। उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:– अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात / साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक	

तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य प्र्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य